न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00319 **दायरा दिनांक : 26.11.2018**

उनवान

सत्यनारायण वल्द पूरीलाल, जाति कुल्मी, निवासी रेपला, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ .... अपीलांट

बनाम

पवन कुमार वल्द बाबूलाल, जाति सुतार, निवासी खाचरोद, तहसील बकानी, जिला झालावाड़ .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बी.एल.माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अमरसिंह लववंशी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 31.07.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – 420/दावा/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि तहसीलदार झालरापाटन द्वारा वादी को आर.टी.एक्ट 1956 की धारा 98 के तहत बाडा संग्रह स्थल हेतु ग्राम रेपला के माल की आराजी खसरा नं. 1304 की 13 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 500 वर्गगज भूमि स्वीकृत थी जिस बाबत कमांक/703–4/राजस्व/97 दिनांक 23/26–8–1997 स्वीकृति आदेश जारी किया। वादी का वास्तविक कब्जा खसरा नं. 1304 वाके रेपला की 500 वर्गगज भूमि पर दिनांक 23.08.1997 से लगातार चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2018 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मातहत न्यायालय का निर्णय कानून के खिलाफ है और पत्रावली पर आयी साक्ष्य पर बिना विवेचन किये निर्णय किया गया है, जो अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय का निर्णय मनमाना है, परवर्स है एवं केप्रिसियस है जिस कारण अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय ने बिना कानून सम्मत प्रकिया अपनाये एवं बिना पत्रावली पर आयी दस्तावेजी एवं शपथ पर दी गई साक्ष्य को बिना देखे निर्णय किया है, जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाकर मातहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.05.2018 अपास्त किया जावे एवं प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.07.2018 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराया और अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वाद का आधार दिनांक 23/26.08.1997 का तहसीलदार झालरापाटन का आदेश है जिसके द्वारा अपीलांट को खसरा नं. 1304 में से 500 वर्गगज भूमि संग्रह स्थल प्रयोजन हेतु प्रयोग की स्वीकृति दी गई। आदेश की शर्त 5 में लिखा गया कि आवंटी को स्वामित्व का अधिकार नहीं होगा जो कि सरकार में निहित होगा। उक्त आदेश में अथवा इसकी पुश्त पर चतुर्थ सीमायें भी अंकित नहीं की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद इस आधार पर खारिज किया गया कि वादी अभिधारी नहीं है। धारा 188 आर.टी.एक्ट में वाद लाने का अधिकार केवल अभिधारी को होने से वाद खारिज किया जाता है।

आर.टी.एक्ट का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि धारा 188 में वाद लाने का अधिकार अभिधारी (टीनेन्ट) को ही है। टीनेन्ट अभिधारी की परिभाषा आर.टी.एक्ट धारा 5 (खण्ड–43) के अनुसार अभिधारी वह व्यक्ति है जो इस भूमि पर किसी स्वामित्व सहित कब्जा धारण करता हो और उस पर लगान देने की बाध्यता हो।

प्रस्तुत परिभाषा के सन्दर्भ में उक्त 1997 के आदेश के अनुसार विवादित भूमि पर स्वामित्व सरकार का है तथा अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का लगान भी देय नहीं है। अतः अपीलांट उक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट की श्रेणी में नहीं आने से धारा 188 आर.टी.एक्ट का वाद लाने का अधिकार होना प्रकट नहीं होता है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाना एवं अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

सत्यनारायण वल्द पूरीलाल, जाति कुल्मी, निवासी रेपला, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
.....**अपीलांट**

बनाम

पवन कुमार वल्द बाबूलाल, जाति सुतार, निवासी खाचरोद, तहसील बकानी, जिला झालावाड
... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **2018 / 00319**
मु.द.नं **420 / दावा / 2012**

व

नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, झालवाड**
निर्णय एवं डिक्री दिनांक – **02.05.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **19** माह **07** सन् **2024**

हाजरी **श्री बी0एल0 माहेश्वरी** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं श्री **अमरसिंह लववंशी** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट उपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2018 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **31** माह **07** सन् **2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(राज0)